तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज अपील संख्या 107/2023 बअनवान हरीराम बनाम भैराराम	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी बाड़मेर

पीठासीन अधिकारी ओमप्रकाश विश्नोई आर ए एस

आदेश

दिनांक 08.01.2025

उपस्थिति

1. अपीलांटगण की तरफ से अधिवक्ता श्री हुकमसिंह चौधरी
2. रेस्पोडेंटस की तरफ से श्री बांकाराम चौधरी, श्री हरीराम चौधरी

अपील दर्ज रजिस्टर की गई। रेस्पोडेंटस को जरिये सम्मन तलब किया गया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई। विद्वान अधिवक्ता उभयपक्ष की पत्रावली पर बहस सुनी गई।

अधिवक्ता अपीलांट ने अपनी बहस करते हुए बताया कि अधीनस्थ न्यायायल द्वारा हस्तगत आवेदन में अपीलाधीन आलोच्य आदेश एकपक्षीय पारित किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांटगण को सुनवाई का समुचित अवसर नहीं दिया गया। मूल वाद अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष विचाराधीन है। उभयपक्षकारान के हकों का निस्तारण मूल वाद के निस्तारण पर ही संभव है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आलोच्य आदेश दस्जावेजात पर गौर किये बिना जल्दबाजी में पारित किया गया जो विधि की दृष्टि से दूषित है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विधि के सुस्थापित सिद्धातों व उच्च न्यायालयों द्वारा दिये गये अधिमतों के विरूद्ध अपीलाधीन आदेश पारित किया गया। अपीलांट को रेस्पोडेंटगण अपीलाधीन आराजी से जबरन बेंदखल करने पर प्रयासरत है तथा रेस्पोडेंटगण द्वारा अपीलांट के कब्जे का त में हस्तक्षेप किया जा रहा है जिससे अपीलांटगण को भारी अपूरणीय क्षति होगी जिसकी क्षतिपूर्ति भविष्य में किया जाना सम्भव नहीं है। मामला प्रथम दृष्टया एवं सुविधा का संतुलन अपीलांट के पक्ष में है। अतः अपीलांट की अपील स्वीकार फरमाई जावे।

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

अधिवक्ता उतरदाता ने अपनी लिखित एवं मौखिक बहस करते हुए निवेदन किया कि हस्तगत अपील अपीलांटस द्वारा अंतरिम आदेश के विरूद्ध पेश की गई है इसलिये माननीय न्यायालय श्री के श्रवणाधिकार के लिये विशेष परिस्थितियों का प्रथम दृष्टया होना व पाया जाना आवश्यक है जो धारा 221 व 230 राज.का.अधि. में निध्यमान से नियत है। अपीलांटगण का अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अंतरिम आदेश की अपील पेश करने के पीछे गहरी दुर्भावना व न्याय में अवरोध पैदा करने की गम्भीर साजिश है से अपील पेश की गई है। अपीलांटगण के वकील को यह भान है कि अपीलांटगण के पक्ष में बिना प्रथम दृष्टया वाद व सुविधा के संतुलन के विचारण न्यायालय को गुमराह व भ्रमित करके रेकर्डेड खातेदारी के विरूद्ध रेकर्ड की यथास्थिति का स्थगन प्राप्त किया है जो आगामी पेशी पर दोनों पक्षों के विचारण के बाद काबिल निरस्त है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को सुनवाई का समुचित अवसर दिया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आलोच्य आदेश दस्जावेजात पर गंभीरतापूर्वक गौर करते हुए पारित किया गया। उतरदातागण अपीलाधीन आराजी के रिकॉर्डेड खातेदार है। रिकॉर्डेड खातेदार के विरूद्ध स्थगन आदेश पारित किया गया जो न्यायोचित नहीं है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विधि के सुस्थापित सिद्धातों व उच्च न्यायालयों द्वारा दिये गये अधिमतों के विरूद्ध अपीलाधीन आदेश पारित किया गया। अपीलाधीन आदेश एवं हाजा न्यायालय के आदेश की आड़ में अपीलांटगण द्वारा उतरदातागण के कब्जे का त में हस्तक्षेप किया जा रहा है जिससे उतरदाता को भारी अपूरणीय क्षति होगी जिसकी क्षतिपूर्ति भविष्य में किया जाना सम्भव नहीं है। मामला प्रथम दृष्टया एवं सुविधा का संतुलन एवं अपूरणीय क्षति के तीनों ही बिंदु उतरदाता के पक्ष में है। न्यायहित में अपीलांटस की अपील को खारिज फरमाया जाकर उतरदाता को न्याय प्रदान करे। उतरदाता के अधिवक्ता ने अपने कथन के समर्थन में निम्नलिखित न्यायिक दृष्टांत पेश किये:—

RRT 2014(1) Page 409
RRT 2010(1) Page 659
RRT 2010(1) Page 95
RRT 2023(2) Page 914
RRT 2008(2) Page 1330

अधिवक्ता उभयपक्ष की पत्रावली पर बहस सुनने एवं

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

	पत्रावली का अवलोकन करने पर पाया कि हस्तगत अपील अधीनस्थ न्यायालय द्वारा राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 212 के प्रार्थना–पत्र में पारित अंतरिम आदेश के विरूद्ध पेश की गई। मूल वाद अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष विचाराधीन है। उभयपक्षकारान के हकों का निर्धारण मूल वाद के निस्तारण पर ही संभव है। मूल दावे के विचारण में रहते अपीलाधीन आराजी को खुर्द बुर्द किया जाना न्यायोचित नहीं है। मामला प्रथम दृश्टया एवं सुविधा का संतुलन भी अपीलांटगण के पक्ष में है। उपरोक्त विवेचन एवं तथ्यों के आलोक में अपीलांटगण की अपील स्वीकार करने योग्य ठहरती है। लिहाजा अपीलांटगण द्वारा पेश अपील स्वीकार कर हाजा न्यायालय पारित स्थगन आदेश दिनांक 06.11.2024 अंतर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के निस्तारण तक कंफर्म किया जाता है। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख मय निर्णय प्रति के लौटाया जावे। आदेश सरे इजलाश दिनांक 08.01.2025 को सुनाया गया। (ओमप्रकाश विश्नोई) राजस्व अपील प्राधिकारी बाड़मेर	